2020/00268

फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री रमेश चन्द्र खटीक पिता गणेश लाल खटीक निवासी खटीक मौहल्ला, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 59 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/07/2020	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री रमेश चन्द्र खटीक पिता गणेश लाल खटीक निवासी खटीक मौहल्ला, चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 13.03.2020 को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने उक्त आवेदन से चाही गई सूचनाऐं आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2418 दिनांक 20.03.2020 से आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित किया। आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त आवेदन से चाही गई सूचनाऐं अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को जरिए डाक प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी का आवेदन अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित किया जाना प्रतिवेदित है। अतः इस आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के स्तर से अपेक्षित थी। आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो उस दशा में अपीलार्थी को उनके अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा धारा 6(3) में अन्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तान्तरित करने की दशा में इस न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (अध्यक्ष/सभापति, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़) के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)	

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official